फर्द अहकाम

शेख अब्दूल खालिद बनाम राजस्थान सरकार

त्र संख्याः 259/2024

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24	प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र बावत 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 4267 वाके ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के हक में पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांकित 23.07.2024 के मुताबिक विक्रेती संख्या 3 श्रीमती विनीता देवी पुत्री कन्हैयालाल जाति माली का नाम हजब किया जाकर प्रार्थी के नाम दर्ज हिस्सा 779/1350 के स्थान पर प्रार्थी के सही एवं क्रयशुदा हिस्सा 780/1350 अर्थात् 26/45 का अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें। बहस प्रार्थी अधिवक्ता एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजता के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर द्वितीय के यहां दिनांक 24.07.2024 के विक्रय पत्र संख्या 202403016109324 की नियमानुसार जॉच कर वाके ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 4267 में विक्रेती संख्या 3 श्रीमती विनीता देवी पुत्री कन्हैयालाल जाति माली का नाम हजब किया जाकर प्रार्थी के नाम दर्ज हिस्सा 779/1350 के स्थान पर प्रार्थी के सही एवं क्रयशुदा हिस्सा 780/1350 का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल [illegible] दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील [illegible] निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:43:19 IST
Reason: SelfAttested